म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स,. भोपाल

कमांक/बी–6/नियमन/पार्ट–3/नाका/6258 भोपाल, दिनांक 31/03/2017

—:: आदेश ::—

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकियों पर नियमन प्रवर्तन व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिकोण से म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा–23 सहपठित मंडी उपविधि की कंडिका 23 तथा मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 65(2) के तहत् जॉच चौकियों का प्रशासनिक नियंत्रण, मण्डी बोर्ड के ऑचलिक संयुक्त संचालक कार्यालयों को निम्न बंधनों के अधीन दिया जाता हैं :–

(1) अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकी पर पदस्थ संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 20 तथा धारा 23, सहपठित मंडी उपविधि 23 प्रावधानांतर्गत लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्तियॉ, अधिसूचित कृषि उपज के वाहन रोकने की शक्ति, कृषि उपज विपणन नियमन प्रवर्तन हेतु प्राप्त होगी।

(2) अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकी पर 24 घंटे लगातार अधिसूचित कृषि उपज स्कंध के वाहनों की जॉच की जायेगी तथा उपविधि सन् 2000 की कंडिका 23 के प्रारूप 15 एवं 16 मे प्रविष्टि कर आगमन तथा निर्गमन का अद्यतन रिकार्ड रखा जावेगा।

(3) जॉच चौकी जहॉ कि वार्षिक मण्डी फीस संग्रहण 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, वहॉ पर दो निरीक्षक, छह सहायक उपनिरीक्षक तथा दो भृत्य की तथा जहॉ वार्षिक मण्डी फीस संग्रहण 20 लाख प्रतिवर्ष से कम है वहॉ एक निरीक्षक तथा छह सहायक उपनिरीक्षक तथा एक भृत्य की पदस्थापना की जावेगी।

(4) उक्त अधिकारी कर्मचारी का वेतन आहरण संबंधित कर्मचारी की मूल मंडी से होगा तथा पदस्थी रहने की अवधि तक के लिये अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकी पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के पद मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा–30(1) के तहत् अस्थाई रूप से संबंधित कृषि उपज मण्डी समितियों मे उपयोग हेतु सृजित रहेंगे।

(5) संयुक्त संचालक, ऑचलिक कार्यालय द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकी पर तैनाती मे सामान्यतः निम्नानुसार मानदण्डो का पालन किया जायेगा :–
1 संभाग की मंडीवार वरिष्ठताक्रम अनुसार ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जावेगा,
2 रोस्टर अनुसार ड्यूटी चक्र पद्धति से प्रति दो माह हेतु लगाई जायेगी,
3 ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी संबंधित अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकी की मूल मण्डी समिति का कर्मचारी न हो,

(6) संभाग की अन्य मंडियों से अंतर्राज्यीय नाकों पर कर्मचारियों की पदस्थी के समय सुनिश्चित किया जाये कि उक्त संबंधित मंडी समिति का कार्य कर्मचारियों के अभाव में प्रभावित न हो।

(7) इस हेतु संभाग के समस्त अंतर्राज्यीय नाकों पर एक वर्ष की अवधि हेतु अग्रिम रोस्टर तैयार कर जारी किया जावेगा। जिसकी प्रति कार्मिक तथा नियमन शाखा मंडी बोर्ड मुख्यालय को तत्समय रिकार्ड हेतु प्रेषित की जावेगी।

order san 88

(8) अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकी से प्राप्त मण्डी फीस की निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टि कर संबंधित क्षेत्र की कृषि उपज मंडी समिति के खाते में यथा समय संबंधित कृषि उपज मंडी समिति के सचिव द्वारा जमा की जायेगी।

(9) अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकी पर पदस्थ स्टाफ हेतु बैठक व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पानी व्यवस्था, फर्नीचर, स्टेशनरी, सुरक्षा आदि संबंधित क्षेत्र की कृषि उपज मंडी समिति द्वारा अविलम्ब उपलब्ध कराई जाये।

(10) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त संचालक, ऑचलिक कार्यालय के सीधे नियंत्रण में रहेंगे। दैनिक कार्यवाही विवरणी मेन्यूअल मे निर्धारित प्रपत्र 42 (क) एवं 42(ख) में संयुक्त संचालक, ऑचलिक कार्यालय के द्वारा नियमित रूप से प्राप्त कर समीक्षा कर कार्रवाही की जावेगी जिसका प्रतिवेदन प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन को प्रत्येक माह प्रेषित किया जावेगा। नियमन शाखा में उक्त का अनुश्रवण किया जावेगा।

(11) मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा जॉच चौकी पर पदस्थ स्टाफ का नियमित निरीक्षण आकस्मिक तौर पर निरंतर किया जायेगा।

इन आदेशों के प्रत्येक बिन्दुओं का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित किया जाना प्रत्येक आंचलिक संयुक्त संचालक, संभाग का व्यक्तिगत दायित्व होगा। आदेशों की उपेक्षा या अवहेलना गंभीर दुराचरण मानी जावेगी, जिसके लिये संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/पार्ट–3/नाका/6259 भोपाल, दिनांक 31/03/2017

प्रतिलिपिः–

(1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
(2) अपर संचालक/मुख्य अभियंता/संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री समस्त, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय।
(3) संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय................ ......की ओर आवश्यक कार्यवाही अविलंब कर प्रतिवेदन मुख्यालय भेजने हेतु।
(4) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति......................जिला......................की ओर पालनार्थ।
(5) आदेश नस्ती/मंडी कार्मिक/लेखा शाखा/ई–अनुज्ञा/स्वीकृति शाखा।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल